ई–मेल समयबद्ध / अतिमहत्वपूर्ण।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनिताल।

सेवा में,

1.निदेशक / प्राचार्य / संस्थाध्यक्ष / प्रधानाचार्य
समस्त शैक्षणिक संस्थान,
नैनीताल।

2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल
3.समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
नैनीताल।

पत्रांकः 4215-21/स0क0/छात्र0/2023–24 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2023

विषयः–समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त ऑनलाईन छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत **शैक्षणिक वर्ष 2023–24 हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन Fresh/Renewal पंजीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के पत्र संख्या 2477 दिनांक 05 दिसम्बर 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं ई0बी0सी0 (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु)) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2023–24 हेतु छात्र–छात्राओं के नवीन (Fresh) पंजीकरण एवं विगत शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के पात्र छात्र–छात्राओं के नवीनीकरण (Renewal) तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन आवेदनों को सत्यापित (Verify) कर जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर ऑनलाईन अग्रसारित करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) को दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक खोला गया है।

अतः शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं ई0बी0सी0 (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु)) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं के नवीन (Fresh) पंजीकरण एवं विगत शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के पात्र छात्र–छात्राओं के नवीनीकरण (Renewal) करने तथा छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन आवेदनों को ऑनलाईन सत्यापित (Verify) कर दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक अग्रसारित करने का कष्ट करें।

महोदय / महोदया जैसा की आप अवगत ही हैं कि विगत वर्षों में भी छात्र–छात्राओं के हितार्थ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) को ऑनलाईन पंजीकरण हेतु खोला जाता रहा है। किन्तु छात्रवृत्ति पोर्टल खुलने के उपरान्त भी शैक्षणिक संस्थानों से समय पर पोर्टल खुलने सम्बन्धी सूचना प्राप्त न होने के सम्बन्ध में छात्र–छात्राओं द्वारा विभागीय कार्यालय में आकर शिकायतें की जाती रही हैं। जिसके फलस्वरूप पोर्टल की तिथि को बार–बार अग्रसारित कर दिया जाता रहा है जिस कारण प्रत्येक वर्ष भुगतान की कार्यवाही में विलम्ब होने के साथ–साथ विभागीय अन्य कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। इस हेतु आप सभी से अनुरोध है कि सम्बन्धित सूचना अपने स्तर से ई–मेल, दूरभाष, पत्राचार एवं सूचना पट्ट के माध्यम से छात्र–छात्राओं तक पंहुचाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि ससमय सूचना छात्र–छात्राओं को मिल सके। जिससे छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु बनाए जाने वाले आवश्यक अभिलेख ससमय तैयार किए जा सके और कोई भी पात्र छात्र–छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित न हो।

नोटः 1– शैक्षणिक संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों में छात्र–छात्राओं द्वारा ऑनलाईन अपलोड किए गए समस्त अभिलेखों को भलि–भांति जांचोपरान्त ही जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर हेतु ऑनलाईन अग्रसारित करने का कष्ट करें।

2–अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, अनुभाग–4 के आदेश संख्या–2077 / XVII-4/2 दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति फण्ड लिमिटेड योजना है अतः योजना के अन्तर्गत केवल ए0आई0सी0टी0ई0 / एम0सी0आई0 / एन0सी0टी0ई0 तथा तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड के ऐसे छात्र / छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा, जिनका प्रवेश काउसलिंग के माध्यम से हुआ हो

क्रमशः 2 पर

अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत जिन छात्र–छात्राओं का प्रवेश मैनेजमेन्ट कोटे के अन्तर्गत हो ऐसे छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ती का लाभ नही दिया जाएगा।

3–शासनादेश के निहित प्राविधानुसार ई0बी0सी0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केवल सरकारी संस्थानों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। इसके इतर यदि किसी सरकारी संस्थान में **Self Financial Course** संचालित है ऐसे कोर्सों के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र–छात्राओं को भी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा।

4–समस्त छात्र–छात्राएं छात्रवृति आवेदन पत्र को ऑनलाईन भरते समय एवं **Submit** करने से पूर्व एक बार अवश्य भलि–भांति जाचलें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गयी जानकारी जैसे–छात्रवृत्ति योजना का नाम, संस्थान का नाम, कोर्स का नाम (कक्षा), खाता संख्या (आधार अपडेटेड), बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड, गृह जनपद (**Home District**) का नाम आदि साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जिन छात्र–छात्राओं के आधार बैंक खाते से (**Aadhar Seeding**) नही कराये गये है वह समस्त छात्र–छात्राऐं अपना आधार अपने बैंक खाते से (**Aadhar Seeding**) करवायें। ताकि (**Aadhar Seeding**) के अनुसार ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी/अंकित डाटा गलत पाए जाने पर छात्र–छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होगें।

5–ऐसे शिक्षण संस्थान/विद्यालय जिनका पंजीकरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर नहीं है अथवा संस्थान/विद्यालय को अपडेट किया जाना है ऐसे संस्थानों/विद्यालयों को अपना ऑनलाईन पंजीकरण/डाटा अपडेट करवाने हेतु पत्र के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी जैसे संस्थान का नाम, संस्थान का **DISE/ AISHE/ NCBT Code**, नोडल अधिकारी का नाम (आधार के अनुसार), आधार संख्या, जन्म तिथि (आधार के अनुसार), आधार में पंजीकृत मोबाईल नम्बर,जिला आदि देना होगा।

6–कृपया कार्यालय के सुलभ सन्दर्भ हेतु शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी संस्थान की मान्यता (**Recognition**) एंव सम्बद्धता (**Affiliation**) से सम्बन्धित अभिलेख अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7–दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त छात्र–छात्राऐं अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें। विगत वर्ष की अंकतालिका संस्थान से प्राप्त न होने की दशा में छात्र–छात्राएं **Online**/संस्थान द्वारा जारी **provisional Marksheet** भी पोर्टल पर सत्यापित कर अपलोड कर सकते हैं साथ ही आय प्रमाण घर के कंमाऊ व्यक्ति पिता/अभिभावक का ही मान्य होगा, ऐसे छात्र–छात्राएं जिनके पिता/अभिभावक नहीं है एंव स्वंय से ही जीविकोपार्जन/शिक्षण कार्य कर रहे हैं ऐसे छात्र–छात्राऐं पिता/अभिभावकों के न होने का शपथ प्रार्थना पत्र के साथ स्वंय का आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर सकते है।

भवदीय,
06/12

(दीपांकर घिल्डियाल)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक: / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– 1–वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, समाज कल्याण, देहरादून, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–निदेशक महोदय, समाज कल्याण, हल्द्वानी, नैनीताल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3–निदेशक महोदय, जनजाति कल्याण, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4–जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधिनस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त तिथि तक समस्त पात्र छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र पूर्ण दस्तावेजों के साथ छात्रवृत्ति ऑनलाईन पोर्टल पर भरवाने का कष्ट करें।

6–नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, समाज कल्याण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल।